PHILOSOPHY

Hons., Paper VI (Part-III)

Monarchy (राजतंत्र)

Dr. S.K. Singh
Mob.-9431454952

→ ऐतिहासिक दृष्टिकोण से राजतंत्र सबसे प्राचीन शासन प्रणालियों में से एक है। पाश्चात्य एवं प्राच्य दोनों संदर्भों में इसकी प्राचीनता के साक्ष्य दिखाई देते हैं। पाश्चात्य दर्शन में प्लेटो ने अपने 'Republic' में 'दार्शनिक राजा' का आदर्श रखा था। अरस्तू ने भी शासन के तीन प्रकारों को बताते हुये उसमें राजतंत्र को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया था। भारतीय संदर्भ में भी राजनीतिक विचारकों मनु, कौटिल्य आदि ने राजा के महत्व, नियुक्ति, अधिकार, कर्तव्य आदि की विशद् विवेचना प्रस्तुत की है।

→ 'राजतंत्र' अँग्रेजी शब्द 'Monarchy' का हिन्दी पर्याय है जिसका आशय है - एक का शासन। अतः 'राजतंत्र' शासन का वह रूप है जिसमें राज्य की सर्वोच्च एवं अन्तिम सत्ता एक व्यक्ति अर्थात् राजा या सम्राट में निहित होती है। शासन के अन्य सभी अंग उसकी स्वतंत्र इच्छा के अधीन होते हैं।

→ राजतंत्र में राजगद्दी की प्राप्ति या शासन की प्राप्ति राजा-शक्ति द्वारा, निर्वाचन द्वारा या पैतृक आधार (वंशानुगत उत्तराधिकारी) पर प्राप्त करता है। इस प्रकार राजा की पदवी मात्र से कोई राज्य राजतांत्रिक नहीं होता बल्कि सत्ता संचालन में उस व्यक्ति की इच्छा का भी अंतिम रूप से मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है।

→ सामान्य विशेषताएँ →

- राज्य के शासन में अंतिम रूप से निर्णायक भूमिका राजा की ही होती है।
- राजा की व्यक्तिगत इच्छा पर पाबंदी नहीं होती।
- इसमें अविभाज्य संप्रभुता की अवधारणा निहित है।
- राजतंत्र में राजा के कानून आदेश ही कानून माने जाते हैं।

→ राजतंत्र के प्रकार →

- वंशानुगत राजतंत्र : वंश के आधार पर राजपद प्राप्त होने वाले राजतंत्र को वंशानुगत राजतंत्र कहते हैं। नेपाल,

Scanned with CamScanner

इंगलैण्ड, ईरान, सऊदी अरब आदि देशों में वंशानुगत राजतंत्र है।

• निर्वाचित राजतंत्र : जिस राज्य में राजा को जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है, उसे निर्वाचित राजतंत्र कहा जाता है। प्राचीन भारत में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं।

• निरंकुश राजतंत्र (Absolute Monarchy): निरंकुश राजतंत्र में सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में होती है जो राजा कहलाता है। जिसमें राजा की शक्ति या इच्छा पर कोई कानूनी बन्धन या वास्तविक नियंत्रण नहीं होता है। ऐसे राजतंत्र को आधार दैवी अधिकार का सिद्धान्त माना जाता है।

दैवीय सिद्धान्त राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में एक प्राचीन सिद्धान्त है जो यह मानता है कि सभी राज्य की सृष्टि ईश्वर ने की है और राजा को इस संदर्भ में ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। इस सिद्धान्त की चर्चा बाईबिल, कुरान, महाभारत इत्यादि विभिन्न ग्रन्थों में की गई है। यहाँ राज्य को एक दैवीय संस्था और राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। मनुस्मृति के अनुसार राजा धरती पर ईश्वर का अवतार है और उसे सभी अधिकार सीधे-सीधे ईश्वर से ही प्राप्त है। इसीलिये राजा केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, अन्यों के प्रति नहीं। चूँकि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, अतः वह कभी गलती नहीं करता। इसीलिये राजा की आज्ञा का पालन करना आवश्यक है। उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना नैतिक दृष्टिकोण से पाप है। उदाहरण - फ्रांस में लुई 14 वें एवं इंगलैण्ड में जेम्स प्रथम का शासन।

• वैधानिक या सीमित राजतंत्र (Constitutional Monarchy) : इसमें राजा की शक्तियाँ वास्तविक न होकर संवैधानिक या नाममात्र की होती है। जब राज्य की सर्वोच्च सत्ता वैधानिक दृष्टि से राजा के हाथ में हो पर उस सत्ता का संचालन वास्तव में प्रजा के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाये तो फिर उसे वैधानिक या सीमित राजतंत्र कहा जाता है। इसमें संवैधानिक रूप से संपूर्ण शक्ति राजा में ही निहित होती है और उसी के नाम पर शासन का कार्य होता है, परन्तु व्यवहार में उनका प्रयोग जनता के प्रतिनिधियों द्वारा होता है। इसमें राजा की शक्तियाँ संविधान द्वारा निर्देशित व नियंत्रित होती है। राजतंत्र का यह रूप लोकतंत्र के निकट है। इंगलैण्ड का राजतंत्र इसका सर्वोत्तम उदाहरण है।